हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 130

बुधवार, 1 मार्च, 2017/10 फाल्गुन, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

(राष्ट्रीय गान गाया गया)

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

सदन की बैठक 12.30 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

आज बारहवीं विधान सभा का चौदहवां सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है। इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि सदन में माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी बात रखने का पूरा मौका दूँ। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप भी नियमों के अधीन रह कर समूचे प्रदेश के महत्वपूर्ण मामलों को उठाकर अपना योगदान देंगे और सदन के समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की जो गरिमा पूरे देश में बनी है उसे आप बनाए रखेंगे तथा सदन के संचालन में मुझे पूरा सहयोग देंगे।

मैंने हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली एवं अध्यक्ष के निदेश के नवम् संस्करण का मुद्रण करवाया है जो आपकी सुविधा हेतु online उपलब्ध है और इसकी एक-एक मुद्रित प्रति भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।

1. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने बुधवार, 1 मार्च, 2017 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

2. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल परः**

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 1);
2. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 2); और
3. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 3)।

3. **<u>अध्यादेशः</u>**

श्री कौल सिंह, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 31.01.2017 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेज़ी पाठ) सभा पटल पर रखी।

4. **<u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2016-2017 का प्रस्तुतीकरण</u>ः**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016-2017 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत करते हुए वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 12.45 बजे सदन की बैठक वीरवार दिनांक 2 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।)